संख्या-1/2026/12/एक-1-2026-रा0-1/94-1099/171/2025

-

प्रेषक,

सुधा वर्मा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी, 2026**

विषय: जनपद कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज में उपनिबन्धक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम बसहिया उर्फ कप्तानगंज जनपद-कुशीनगर में स्थित गाटा संख्या-3308मि0/2.023 हे0 में से 0.0920 हे0 भूमि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 के पक्ष में नि:शुल्क हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 द्वारा ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित एवं सरकारी भूमियों को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4(1)(ग) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि नि:शुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कंपनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट, जो अधिक हो के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा।

2- उक्त के संबध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम बसहिया उर्फ कप्तानगंज जनपद-कुशीनगर में स्थित गाटा संख्या-3308मि0/2.023 हे0 की रिक्त भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में तहसील कप्तानगंज कार्यालय के नाम दर्ज है, में से 0.0920 हे0 भूमि जनपद कुशीनगर के तहसील कप्तानगंज में उपनिबन्धक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर नि:शुल्क रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- तदनुसार राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 का प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखित सीमा तक विचलन समझा जाये। शासनादेश दिनांक-03-06-2016 के शेष अन्य प्राविधान यथावत प्रभावी रहेंगे।

4- यह आदेश गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-4/2/1/2026-सी0एक्स0(1) दिनांक 06-01-2026 में प्राप्त मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सुधा वर्मा
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया शासनादेश की प्रति अपने स्तर से विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/1/2026-सी0एक्स0(1) दिनांक 06-01-2026 के क्रम में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुधा वर्मा
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।